

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया भीलवाडा राजस्थान

~~उपखण्ड अधिकारी महोदय साहब~~  
~~उपखण्ड न्यायालय बिजौलिया~~

कालुलाल पिता मांगीलाल जी जाति रेगर उम्र बालिग निवासी थडोदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राजस्थान

.....प्रार्थी

बनाम

1. सम्पति पिता मोतीलाल जी रेगर निवासी थडोदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राजस्थान
2. सीताराम पिता प्यारचंद जी रेगर निवासी थडोदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राजस्थान
3. प्रभुलाल पिता टोलु जी रेगर निवासी थडोदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राजस्थान

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111,128, राजस्थान भूराजस्व.अधिनियम

6-518

प्रार्थना पत्र प्रार्थी श्री कालुलाल पिता मांगीलाल जी जाति रेगर उम्र बालिग निवासी थडोदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राजस्थानने जरिये अभिभाषक श्री सुनील जोशी.....प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि मेंरें एकल/संयुक्त खातें की भुमि यह हैं कि मौजा ग्राम थडोदा पटवार हल्का थडोदा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राजस्थान में स्थित खाता संख्या 337 पर स्थित आराजी नम्बर 51/2, कुल खसरा संख्या 1 रकबा 5-00बीघा भुमि विपक्षी आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न हैं। प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत २७३-७६ के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गेर खातेदार काश्तकार हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थर गढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता हैं। अतः प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर कि मौजा ग्राम चिताबडा पटवार हल्का चांद की की खेडी भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सलावटिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राजस्थान में स्थित खाता संख्या 12 पर स्थित आराजी नम्बर 215 क्षेत्रफल 1-17 बीघा, आराजी संख्या 216 क्षेत्रफल 2-19 बीघा, आराजी संख्या 217 रकबा 0-19 बीघा कुल 3 खसरा संख्या 3 रकबा 3-15 बीघा भुमि बाशामालात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता हैं एव पत्थरगढी शुल्क राशि 100 /रूपये राजकोष में जमा होने पर पालानार्थ तहसीलदार बिजौलिया को लिखा जावें। प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों। आदेश सुनाया गया।

पत्रावली में 500-500 बि. बिजौलिया के करिब 1000 बि. पत्थरगढी किया जाता है। करिब 500-500 रूपये होते हैं जो पत्र पत्थरगढी प्रार्थी अफ करेगा।

उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलिया